

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(दिले अधिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० से 479/13-14
 जिला दा० खा० वाइ सं०

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
1	2	3															
	<p>श्री <u>श्री संगता सिन्हा</u></p> <p><u>श्री डोमालेन्द्र कुमार</u> नाम <u>सुगिया</u> शाला <u>वरदपुर</u> जिला <u>दा० खा० वाइ सं०</u> पं० शाला नं० <u>4367</u> दिनांक <u>16/11/06</u></p> <p>आधार पर निम्न ताकत अर्थात् पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>बेगा का नाम</th> <th>शेरी नं०</th> <th>खाला नं०</th> <th>खसरा</th> <th>एराजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>खानपुर</u></td> <td>—</td> <td><u>254</u></td> <td><u>4238</u></td> <td><u>604</u></td> </tr> <tr> <td><u>(9)</u></td> <td></td> <td><u>325</u></td> <td><u>4239</u></td> <td><u>कर्मचारी</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हेतु परामर्शकारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अधिलेख दिनांक <u>15/04/12</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> <u>MS</u></p> <p>संयोजक अधिकारी अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर वांछित नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके अनुमति के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है शुरु, पर 11/11/06</p> <p>दिनांक एवं <u>MS</u> किया <u>MS</u></p> <p>संयोजक अधिकारी संयोजक अधिकारी</p>	बेगा का नाम	शेरी नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी	<u>खानपुर</u>	—	<u>254</u>	<u>4238</u>	<u>604</u>	<u>(9)</u>		<u>325</u>	<u>4239</u>	<u>कर्मचारी</u>	
बेगा का नाम	शेरी नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी													
<u>खानपुर</u>	—	<u>254</u>	<u>4238</u>	<u>604</u>													
<u>(9)</u>		<u>325</u>	<u>4239</u>	<u>कर्मचारी</u>													